	राजस्थान राज–पत्र *विशेषांक*	Regd. No. RJ. 2777/93 **RAJASTHAN GAZETTE** *Extraordinary*
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 30, मंगलवार, शाके 1917–जून 20, 1995 *Jyaistha 30, Tuesday, Saka 1917-June 20, 1995*	

भाग 4 (ग)

उपखण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य, आदेशों उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम

कृषि (ग्रुप–2) विभाग

राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड सेवा (पेंशन) नियम, 1995

जयपुर जून 15, 1995

प.17(69)कृषि/ग्रुप–2/89 जी.एस.आर. 21:–राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 22 एल (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :

नियम–1

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रभावशीलता

(1) यह नियम राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा (पेंशन) नियम, 1995 कहलायेंगे।

(2) यह नियम तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

नियम–2

परिभाषायें

(1) इन नियमों में जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्व न हो :

(क) अधिनियम (एक्ट) से तात्पर्य राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 से है।

(ख) बोर्ड से तात्पर्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से है, जो राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 22ए के अन्तर्गत गठित है।

(ग) कोष नियंत्रक (Controller of Fund) से तात्पर्य प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर से है।

(घ) प्रशासक से तात्पर्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कार्यरत प्रशासक से है।

(ड़.) सचिव से तात्पर्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कार्यरत सचिव से है।

(च) वृत्ताधिकारी से तात्पर्य बोर्ड के वृत कार्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता से है।

(छ) खण्ड़ीय अधिकारी से तात्पर्य बोर्ड के खण्ड़ीय कार्यालय में पदस्थापित अधिशाषी अभियन्ता से है।

(ज) कर्मचारी से तात्पर्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सेवा में नियमित रूप से एवं स्वीकृत वेतन श्रृंखला में नियुक्त कर्मचारी से है।

(झ) कोष (Fund) से तात्पर्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कर्मचारी पेंशन कोष से है, जो पी.डी. एकाउन्ट में रखा जावेगा, जिसमें से सेवानिवृत बोर्ड के कर्मचारी/अधिकारी को पेंशन का भुगतान किया जावेगा।

अपरिभाषित शब्द (Not defined words) : यानि वे शब्द जो इन नियमों में परिभाषित एवं उल्लेखित नहीं है, उन्हें राजस्थान सेवा नियम के निर्दिष्टानुसार माना जावेगा।

नियम–3

यह नियम किन पर लागू होंगे (Applicability of Rules) : आदेश लागू होने की तिथि को बोर्ड व इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों, जिनके द्वारा पेंशन लेने का विकल्प दे दिया गया है एवं इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी/कार्यरत/ठेका प्रणाली पर कार्यरत/प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के अतिरिक्त) को पेंशन देय होगी।

नियम–4

जिन पर प्रभावशील नहीं होंगे (Non applicability of Rules)

यह नियम निम्नलिखित कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे :–

(1) वे कर्मचारी जो आदेश प्रसारित होने की तिथि से पूर्व सेवानिवृत हो चुके है।
(2) विशेष कार्य पर नियुक्त कर्मचारी।
(3) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी।
(4) ठेका प्रणाली पर कार्यरत कर्मचारी।
(5) प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी।
(6) कार्यदत्त कर्मचारी।

नियम–5

विकल्प देना (Exercise option)

(1) जिन कर्मचारियों पर ये नियम लागू है, उनको यह विकल्प देना होगा कि वे नियम लागू होने की तिथि से पेंशन नियमों के अन्तर्गत अथवा अंशदायी प्रावधायी निधि के नियमों के अन्तर्गत अनुशासित होंगे। इन नियमों के प्रभाव में आने की तिथि के बाद अंशदायी प्रावधायी निधि का कोई नया सदस्य नहीं बनाया जावेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन विकल्प इन नियमों में नीचे दिये गये प्रारूप अनुसार लिखित में इस प्रकार दिया जायेगा ताकि विकल्प इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से 3 माह के अन्तर्गत नियम 6 में यथा वर्णित अधिकारी के पास पहुॅच जाये।

(3) यदि कर्मचारी द्वारा तथाकथित समय में विकल्प भरकर नहीं दिया जाता है, तो यह समझ लिया जावेगा कि कर्मचारी ने राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा (पेंशन) नियम, 1995 स्वीकार कर लिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जावेगा। कर्मचारी द्वारा निश्चित समयावधि में विकल्प देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु कर्मचारी को यह सुनिश्चित होना चाहिए कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा (पेंशन) नियम 6 में यथा वर्णित प्राधिकारी के पास विकल्प पत्र पहुॅच गया है तथा उसके द्वारा पावती प्राप्त कर ली गई है। कर्मचारी द्वारा देय विकल्प पत्र को सेवा पुस्तिका में चिपका दिया जाना चाहिए और इसकी एक सत्य प्रति कर्मचारी की निजी पत्रावली में संलग्न करनी होगी।

नियम–6

विकल्प किस अधिकारी को दिया जावे (Authorities for communication option) : विकल्प की सूचना कर्मचारी द्वारा सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को दी जावेगी।

नियम–7

अंशदायी प्रावधायी निधि खातों के शेषों की स्थिति (Treatment of Balance in C.P.F. Account) : यदि कर्मचारी इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन का विकल्प देता है, तो अंशदायी प्रावधायी निधि खातों के उस भाग की राशि, जो बोर्ड द्वारा दी गई या देय है, वह ब्याज सहित पेंशन कोष में स्थानान्तरित कर दी जावेगी। कर्मचारी के भाग की राशि उसके जी.पी.एफ. लेखें में मय ब्याज के स्थानान्तरित कर दी जावेगी। यदि किसी अवधि विशेष में बोर्ड ने सी.पी.एफ. अकाउन्ट में पैसा जमा नहीं किया है, तो उसे मय ब्याज के अब तुरन्त जमा करवाया जावे।

नियम–8

कोष का निर्माण (Constitution of the Fund) :

इस कोष का निर्माण निम्न प्रकार होगा :

(1) नियम लागू होने की तिथि को कर्मचारी के अंशदायी प्रावधायी निधि के खाते में बोर्ड द्वारा दिया गया देय अंशदान मय ब्याज के हस्तान्तरित करते हुए।

(2) समस्त बोर्ड व इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पेंशन कोष में कर्मचारियों के वेतन एवं मंहगाई भत्ते के योग का 12% मासिक अंशदान कोष में जमा करवाया जावेगा। पेंशन फण्ड की राशि में से किसी भी समय कमी होती है, तो मासिक अंशदान की राशि में राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर यथोचित बढ़ोतरी की जावेगी। पेंशन के भुगतान का किसी भी प्रकार का दायित्व राज्य सरकार का नहीं होगा।

नियम–9

कोष का नियंत्रण (Control of the Fund) :

कोष के नियंत्रक की यह सुनिश्चित करना होगा कि कोष से हुए भुगतान एवं प्राप्तियों का मिलान प्रतिमाह कर लिया गया है। नियंत्रक को पेंशन कोष की राशि में से पेंशन भुगतान के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग में लेने का अधिकार नहीं होगा। कोष के खातों का सही रूप से संधारण करने के लिए नियंत्रक का सीधा उत्तरदायित्व होगा।

नियम–10

पेंशन योग्य सेवा (Qualifying Service) :

निम्नलिखित सेवायें पेंशन के उद्देश्य से योग्य सेवा मानी जावेगी :

(1) एक कर्मचारी की सेवा उस समय तक पेंशन योग्य सेवा नहीं मानी जावेगी जब तक कि उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ली हो अर्थात 18 वर्ष की आयु के पश्चात् ही पेंशन योग्य सेवा जोड़ी जावेगी।

(2) प्रत्येक कर्मचारी की सेवा उस समय से प्रारम्भ मानी जावेगी जब से वह नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन लेता है। बशर्ते कि बोर्ड द्वारा अंशदायी प्रावधायी निधि (सी.पी.एफ.) में अथवा पेंशन कोष (जैसी भी स्थिति हो) में अंशदान किया है।

(3) वह समस्त अवधि जिसमें असाधारण अवकाश (अवैतनिक अवकाश) का समय पेंशन योग्य सेवा में नहीं माना जावेगा बशर्ते अधिकृत चिकित्सक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार नहीं लिया गया हो।

(4) निलम्बन में व्यतीत समय पेंशन के लिए पूरा गिना जावेगा यदि जांच पूर्ण होने पर कर्मचारी पूर्णतया निर्दोष सिद्व हुआ हो या जिसका निलम्बन पूर्णतया अनुचित पाया गया हो। अन्य मामलों में निलम्बन का समय पेंशन योग्य तब तक नहीं माना जावेगा जब तक कि आदेश जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी यह स्पष्ट रूप से घोषित नहीं कर देता है कि यह समय पेंशन में गिना जावेगा और तब ही यह निलम्बन अवधि उतनी ही मात्रा में पेंशन योग्य गिनी जावेगी जितनी सक्षम प्राधिकारी घोषित करेगा।

(5) परीवीक्षाधीन के रूप में की गई सेवा अवधि पेंशन योग्य सेवा मानी जावेगी।

(6) दैनिक वेतन भोगी, ठेका प्रणाली पर कार्यरत एवं समयावधि आदि पर लगाये गये कर्मचारी की सेवा पेंशन के उद्देश्य से पेंशन योग्य सेवा नहीं मानी जावेगी।

नियम–11

<u>पेंशन स्वीकृत करने की शर्ते (Condition for Grant of Pension)</u> :

पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम भाग ''ब'' अध्याय xx में दी गई शर्तो के अन्तर्गत कर्मचारी की पेंशन स्वीकृत की जावेगी।

नियम–12

<u>पेंशन हेतु मानी जाने वाली परिलब्धिया (Emoluments for the purpose of Pention)</u> :

पेंशन स्वीकृत हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य इन नियमों के तहत उन परिलब्धियों से है, जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 250 सी में परिभाषित है।

नियम–13

<u>पेंशन का निर्धारण (Regulation of Pension)</u> :

पेंशन राशि की गणना राजस्थान सेवा नियमों के नियम 250 डी के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

नियम–14

<u>पेंशन की रूपान्तरण (Commutation of Pension)</u> :

उन मामलों में जहां किसी कर्मचारी ने पेंशन के अधिकतम 1/3 भाग तक रूपान्तरण हेतु निवेदन किया हो तो पेंशन स्वीकृत प्राधिकारी राजस्थान सेवा नियम (पेंशन रूपान्तरण) 1981 व समय–समय पर परिवर्तित नियमों के अनुसार पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति दे सकता है।

नियम–15

<u>उपादान का भुगतान (Payment of DCRG)</u> :

राजस्थान सेवा नियम के खण्ड प्रथम भाग ''ब'' में इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रावधान ही इन नियमों के अन्तर्गत बोर्ड कर्मचारियों को डी.सी.आर.जी. स्वीकृति के लिए मान्य होगी।

नियम–16

<u>पारिवारिक पेंशन (Family Pension)</u> :

मृतक बोर्ड कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम भाग ''ब'' अध्याय xxiii (ए) के अनुसार देय होगी।

नियम–17

पेंशन स्वीकृति के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया (Procedure of submission of application of pension) प्रत्येक कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों में निर्धारित प्रपत्रों में पेंशन स्वीकृति हेतु उस अधिकारी को जो

सर्विस बुक संधारित करता है, की सेवानिवृति के 6 माह पूर्व भरकर प्रस्तुत करना होगा।

नियम–18

पेंशन स्वीकृति करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी (Authority Competent for sanction of Pension) : समस्त बोर्ड कर्मचारियों को पेंशन भुगतान आदेश जारी करने हेतु मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर प्राधिकृत अधिकारी होगा।

नियम–19

पेंशन में से हानियों की वसूली (Recoveries of losses from pension):

पेंशन स्वीकृति अधिकारी को पेंशन की राशि का सम्पूर्ण स्थाई रूप से या आंशिक रूप के नियत अवधि के लिए इसके भुगतान को रोके रखने अथवा इसके किसी भाग को निकालने का अधिकार होगा। उसे यह भी अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा बोर्ड को पहुंचाई गई आर्थिक हानि की सम्पूर्ण राशि अथवा उनका अंश उस व्यक्ति से वसूल करने का आदेश जारी करे। यदि पेंशन पाने वाले कर्मचारी अपनी सेवाकाल में दुर्व्यवहार या उदासीनता बरतने का दोषी पाया जाता है तो उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जावेगा।

नियम–20

दुर्व्यवहार या अकुशलता (Misconduct or unefficiencies) :

दुर्व्यवहार या दिवालिया, अकर्मण्यता के आरोप में सेवा मुक्त किये गये अथवा हटाये गये कर्मचारी को इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन स्वीकारने योग्य नहीं होगी जब तक इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश नहीं दे दिये गये हो।

नियम–21

दण्ड स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृति (Compulsory retirement as penality) :

एक कर्मचारी जिसे दण्ड के बतौर अनिवार्य रूप से सेवा मुक्त किया जाता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 172 ए के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन दी जा सकती है।

नियम–22

नियमों की व्याख्या (Interpretation of Rules) :

जहां कहीं इन नियमों की व्याख्या करने में संदेह उत्पन्न होता हो वह सरकार को (शासन सचिव, कृषि उत्पादन विभाग, राजस्थान–जयपुर) प्रेषित कर दिया जाना चाहिये, जिनके द्वारा की गई व्याख्या/निर्णय अन्तिम जाना जावेगा।

नियम–23

नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन की शक्तियां (Powers to alter or amend the rules) :

राज्य सरकार को नियमों में समय–समय पर संशोधन करने की शक्ति सुरक्षित रहेगी। पेंशन संबंधी कोई दावा जब कर्मचारी बोर्ड सेवाओं से सेवानिवृत होता/सेवा के दौरान मृत्यु होती है, तो तत्कालीन लागू होने वाले नियमों के द्वारा तय की जावेगी।

नियम–24

प्रशासक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की शक्तियां (Powers of the Administrator, Rajasthan State Agricultural Marketing Board) :

पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों के पेंशन संबंधी प्रपत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर अपना कार्य एवं दायित्व उसी तरह करेंगे, जिस तरह वर्तमान में राज्य कर्मचारियों के पेंशन के मामले स्वीकृत किये जाते रहे है और तदानुसार ही पेंशन भुगतान आदेश किये जावेंगे।

नियम–25

नियम 18 के अधीन जारी किये गये पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन का भुगतान वे अधिकारी करेगे, जिन्हें कोष का नियंत्रक इस हेतु विशिष्ठ तौर पर अधिकृत करेगा, परन्तु ऐसा अधिकारी अधिशाषी अभियंता से नीचे के स्तर का अधिकारी नहीं होगा।

विकल्प पत्र

कृषि विभाग के ज्ञापन संख्या———————————— दिनांक————————————

के अनुसार में मैं ———————————————— पुत्र/पुत्री/श्री ————————————————

पद———————————————— जो अंशदायी भविष्य निधि योजना का सदस्य हूं, एतद् द्वारा अंशदायी भविष्य निधि योजना में कार्यरत रहने/अंशदायी भविष्य निधि लाभों के एवज में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा (पेंशन नियम, 1995 के पेंशन नियमों को स्वीकार ग्रहण करता हूं/करती हूं, जिनमें नवीन पारिश्रमिक पेंशन नियम भी सम्मिलित है, जो समय–समय पर संशोधित होते रहते है।)

कर्मचारी के हस्ताक्षर ————————————

दिनांक————————————————

पूरा नाम————————————————

पद————————————————

कार्यालय का नाम————————————

साक्षी :

हस्ताक्षर————————————

दिनांक————————————

पूरा नाम————————————

कार्यालय का नाम————————

प्रति हस्ताक्षर

सचिव,
राजस्थान राज्य कृषि
विपणन बोर्ड,
जयपुर के दिनांक सहित
हसताक्षर